रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 338] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 14, 2013/माघ 25, 1934
No. 338] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 14, 2013/MAGHA 25, 1934

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2013

का.आ. 363(अ).—यत:, मै. इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलोजी पार्क्स, केरल, राज्य सरकार, केरल के पूर्णत: स्वामित्व के अधीन एक स्वायत्तशासी सोसायटी, ने विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 3 के अंतर्गत (एतद्पश्चात इसे अधिनियम कहा गया है) केरल राज्य में पल्लीपुरम और वीलूर गांव, जिला तिरूवनंतपुरम में सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं हेतु क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने का प्रस्ताव किया है;

और यत:, केन्द्र सरकार संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत अपेक्षाएं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाएं पूरी हैं और इसे उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत उपर्युक्त क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन और अनुरक्षण हेतु 16 मई, 2012 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया गया है;

अब, अत:, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा उपर्युक्त स्थान पर निम्नलिखित तालिका में दी गई सर्वे संख्याओं में उल्लिखित निम्नलिखित क्षेत्रों को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

तालिका

क्र. सं.	गांव का नाम	संबंधित सर्वे संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर में, क्षेत्रफल वर्ग मी. में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पल्लीपुरम	354	9.26.85
2.		356	10.11.51
3.		360	5.05.86
4.		364	1.84.06
5.		365	1.02.75
6.		366	6.74.26
7.		367	6.49.66
8.		368	8.36.19
9.		370	3.61.11
10.		371	1.12.90
11.		377	4.69.60
12.	वीलूर	326	00.31.14
13.		327	00.71.90
14.		333	01.17.43
15.		334	00.98.29
16.		335	01.04.88
17.		338	00.60.28
18.		339	01.10.25
19.		340	01.05.53
20.		346	01.39.90

(1)	(2)	(3)	(4)
21.		347	00.63.30
22.		354	01.20.65
		कुल	39.37.19 हेक्टेयर

और, अत: केन्द्र सरकार विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा एक समिति का गठन करती है जिसे उक्त अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनों हेतु उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के लिए अनुमोदन समिति कहा जाएगा जिसके अध्यक्ष एवं सदस्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—

1. विकास आयुक्त, विशेष आर्थिक जोन —अध्यक्ष, पदेन
2. भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग के निदेशक अथवा उप सचिव अथवा उनके नामिती जो भारत सरकार के अवर सचिव के स्तर से कम स्तर के नहीं होंगे —सदस्य, पदेन
3. विशेष आर्थिक क्षेत्र पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार प्राप्त विदेश व्यापार महानिदेशालय के क्षेत्रीय संयुक्त महानिदेशक —सदस्य, पदेन
4. विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा-शुल्क आयुक्त अथवा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अथवा उनके नामिती जिनका पदक्रम संयुक्त आयुक्त के स्तर से कम न हो —सदस्य, पदेन
5. विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार प्राप्त आयकर आयुक्त अथवा उनके नामिती जिनका स्तर संयुक्त आयुक्त स्तर से कम न हो —सदस्य, पदेन
6. वित्त मंत्रालय, बैंकिंग विभाग, भारत सरकार में निदेशक (बैंकिंग) —सदस्य, पदेन
7. राज्य सरकार द्वारा नामित किए गए संयुक्त सचिव स्तर से उच्चतर स्तर के दो अधिकारी —सदस्य, पदेन
8. जोन के विकासकर्ता के प्रतिनिधि —विशेष आमंत्रिती

और, अत: विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 53 की उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2013 के 13वें दिन, को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है जिससे उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के अंतर्गत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो माना जाएगा ।

[फा. सं. एफ. 1/12/2012-एसईजेड]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2013

S.O. 363(E).—Whereas, M/s. Electronics Technology Parks-Kerala, an autonomous society wholly owned by the State Government of Kerala, has proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005) (hereinafter referred to as the said Act), to set up a sector specific Special Economic Zone for Information technology and information technology enabled services at Villages Pallippuram & Veiloor, District Thiruvananthapuram in the State of Kerala;

And whereas, the Central Government is satisfied that requirements under sub-section (8) of Section 3 of the said Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of Section 3 of the said Act for development, operation and maintenance of the above sector specific Special Economic Zone on 16th May, 2012;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, hereby notifies the following area at above location with survey numbers given below in the Table, as a Special Economic Zone, namely :—

TABLE

Sl. No.	Name of the Village	Re.Survey No.	Area (in hectares Are. Sqm)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pallippuram	354	9.26.85
2.		356	10.11.51
3.		360	5.05.86
4.		364	1.84.06
5.		365	1.02.75
6.		366	6.74.26
7.		367	6.49.66
8.		368	8.36.19
9.		370	3.61.11
10.		371	1.12.90
11.		377	4.69.60
12.	Veiloor	326	00.31.14
13.		327	00.71.80
14.		333	01.17.43
15.		334	00.98.29

(1)	(2)	(3)	(4)
16.		335	01.04.88
17.		338	00.60.28
18.		339	01.10.25
19.		340	01.05.53
20.		346	01.39.90
21.		347	00.63.30
22.		354	01.20.65
		Total	**39.37.19 Hectares**

And, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the above Special Economic Zone for the purposes of Section 14 of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely :—

1. Development Commissioner of the Special Economic Zone —Chairperson ex-officio
2. Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce or his nominee not below the rank of Under Secretary to the Government of India —Member, ex-officio
3. Zonal Joint Director General of Foreign Trade having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone —Member, ex-officio
4. Commissioner of Customs or Central Excise having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner —Member, ex-officio
5. Commissioner of Income Tax having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner —Member, ex-officio
6. Director (Banking) in the Ministry of Finance, Banking Division, Government of India —Member, ex-officio
7. Two Officers, not below the rank of Joint Secretary, to be nominated by the State Government —Member, ex-officio
8. Representative of the Developer of the zone —Special Invitee

And, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 53 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby appoints the 13th day of February, 2013 as the date from which the above Special Economic Zone shall be deemed to be Inland Container Depot under Section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[F. No. F. 1/12/2012-SEZ]

RAJEEV ARORA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.